

UPET110114442022



अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जलेशर, एटा

J.O. Code. U.P. 1995

जमानत प्रार्थना पत्र सं०-887 / 2022
वीरपाल आदि ———बनाम————राज्य

19.10.2022

आदेश

अभियुक्तगण वीरपाल, शनि, यशपाल उर्फ सुनील एवं अतिवीर की ओर से अपराध सं०-66 / 2021 अ०धारा-147, 323, 325, 427, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना निधौली कला जिला एटा के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया है कि प्रार्थिगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अभियोजन पक्ष द्वारा कथन किया गया है कि अपराध अजमानतीय है।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया। जिससे विदित है कि उक्त प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत देखते हुए अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण वीरपाल, शनि, यशपाल उर्फ सुनील एवं अतिवीर की ओर से अपराध सं०-66 / 2021 अ०धारा-147, 323, 325, 427, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना निधौली कला जिला एटा के प्रकरण में प्रत्येक द्वारा मु०-20,000 /—रुपये का एक व्यक्तिगत बंध पत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

**अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जलेशर, एटा**